

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल  
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
रेक्स संख्या - 8320



Corporate Tax & GST Cell  
II<sup>nd</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow-226001  
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

दिनांक / / 2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 कैबी / सी०  
एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० जानपद (i) / (ii)  
पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण  
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०  
लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।

जी०एस०टी० अधिनियम के Schedule III के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि (वेतन इत्यादि) जी०एस०टी० से कर मुक्त है किन्तु कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को किसी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि जी०एस०टी० के दायरे में आयेगी।

निगम द्वारा कार्मिकों से निम्नलिखित विभिन्न मदों में राशि वसूली जाती है-

- कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि।
- विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि।
- विद्युत कटौती।
- कर्मचारी द्वारा अनुबधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि।
- कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि।

उपरोक्त वसूलियों पर जी०एस०टी० की देयता-

- कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि  
चूंकि आवासीय किराये पर जी०एस०टी० लागू नहीं होता। अतः आवासीय किराये की वसूली पर जी०एस०टी० की देयता नहीं बनती है।
- विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि  
निगम द्वारा कुछ कार्मिकों को विभागीय वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है एवं इस सुविधा के सापेक्ष कार्मिकों से कुछ राशि वसूली जाती है। इस परिस्थिति में वसूली गयी राशि पर जी०एस०टी० देय होगा। इकाईयों द्वारा जी०एस०टी० अनुपालन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।  
क) कार्मिकों से वसूली गयी राशि जी०एस०टी० सम्मिलित मान कर उसमें से उल्टी गणना कर जी०एस०टी० निकाला जायेगा एवं जी०एस०टी० जमा कराया जायेगा। इकाई द्वारा प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को Tax Invoice जारी करना होगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित माह के जी०एस०टी० रिटर्न में भी दर्शानी होगी।  
ख) सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० निगम को Input Tax Credit के रूप में उपलब्ध होगा जिसका उपयोग उपरोक्त जी०एस०टी० की देयता के सापेक्ष समायोजन हेतु किया जा सकेगा।

उदाहरण हेतु-

• सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) से प्राप्त बीजक

Renting of Vehicle Service Value	20,000
+ GST @ 18%	3600
Total	23,600

Renting of Vehicle Service Value	423
Vehicle + GST @ 18%	77
Total	500

❖ इकाई द्वारा उपरोक्त Tax Invoice निर्गत करने पर ₹ 77/- जी०एस०टी० की देयता आयेगी। इकाई द्वारा सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) को भुगतान किये गये जी०एस०टी० (₹ 3600/-) में से देय जी०एस०टी० (₹ 77/-) का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा एवं इसका समायोजन देय जी०एस०टी० (₹ 77/-) के सापेक्ष किया जा सकेगा। तदनुसार इकाई द्वारा जी०एस०टी० जमा करने हेतु कोई अतिरिक्त भार नहीं आयेगा।

ग) इकाई द्वारा जी०एस०टी० जमा कराने हेतु जी०एस०टी० दर एवं HSN Code वही उपयोग किया जायेगा जो सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर अंकित हो। अन्यथा की स्थिति में GST दर 18 प्रतिशत एवं HSN Code 9966 उपयोग किया जायेगा। कार्मिकों से वसूली गयी राशि का Tax Invoice संगत इकाई द्वारा कार्मिकों को निर्गत करना होगा।

घ) इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित नियम निम्नलिखित अनुसार हैं -

- इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले इकाईयां मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल के माध्यम से सुनिश्चित करें कि कथित व्यय निगम के GSTR-2A में दिखाई दे रहा है या नहीं। कोई भी व्यय जिसकी सूचना विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा अपने जी०एस०टी० रिटर्न में दी गयी हो, वहीं निगम के GSTR-2A में दिखाई देगा।
- किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।
- इकाईयां ये भी सुनिश्चित करें कि जिस टैक्स इनवाइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो उसका भुगतान इनवाइस दिनांक से 180 दिन के भीतर कर दिया जाये, 180 दिन के भीतर भुगतान न होने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित रिवर्स करना होगा। किन्तु भुगतान उपरान्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस क्लेम किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 02/उ०म०प्र० (टैक्स)/जी०एस०टी०सेल/2017-18 दिनांक 25.07.2017 में अंकित इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

### 3. विद्युत कटौती

चूंकि विद्युत वितरण जी०एस०टी० मुक्त है, अतः विद्युत कटौती की वसूली पर जी०एस०टी० देय नहीं होगा।

### 4. कर्मचारी द्वारा अनुबंधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि

बॉण्ड मनी की प्राप्ति पर जी०एस०टी० की देयता CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं० 5(e) "Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा मानते हुए बनती है जिसका SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान में जी०एस०टी० दर 18 प्रतिशत है।

### 5. कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि

त्याग पत्र के उपरान्त प्राप्त धनराशि को CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं० 5(e) "Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा माना जायेगा एवं तदनुसार इस धनराशि पर जी०एस०टी० की देयता बनती है। कथित सेवा का SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान जी०एस०टी० दर 18 प्रतिशत है।


उपरोक्त बिन्दु सं० 4 एवं 5 के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि जी०एस०टी० एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इसको हमेशा ही सेवा मूल्य (Service Value) के अतिरिक्त ही वसूला जाता है। किन्तु किसी कारणवश यदि जी०एस०टी० सेवा मूल्य के अतिरिक्त नहीं वसूला गया हो ऐसी परिस्थितियों में वसूली गयी राशि को ही सेवा मूल्य + जी०एस०टी० मान लिया जायेगा एवं उल्टी गणना करते हुए जी०एस०टी० की राशि का अंकलन कर सरकार के खाते में जमा कराया जायेगा अतः कथित प्रकरण में अगर जी०एस०टी० की राशि कार्मिकों से अतिरिक्त रूप से वसूली जा सकती है तो उसे वसूला जाये अन्यथा प्राप्त धनराशि को ही जी०एस०टी० सम्मिलित माना जाये। किन्तु भविष्य में होने वाले अनुबंधों में "Plus Applicable GST" Clause जुड़वा दिया जाये।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिशा-निर्देश सं: 19 / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तददिनांक 16/03/2020  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/ वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/ गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
4. उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोपरोक्त

  
(ए0 के0 गुप्ता)  
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)